Seventeenth Series, Vol. XIII No.15

Monday, August 09, 2021
Sravana 18, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIII contains Nos. 11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Suman Rattan
Director

Narad Prasad Kimothi
Joint Director

Kamala Subramanian
Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XIII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka)
No.15, Monday, August 09, 2021/Sravana 18, 1943 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	11
Homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi and other Martyrs of Quit India Movement and Azadi Ka Amrit Mahotsav	
FELICITATIONS BY THE SPEAKER	
Congratulations to Shri Neeraj Chopra and Shri Bajrang Punia on winning medals at Tokyo Olympics	12-13
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 281 to 284	14-23
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 285 to 300	24-196
Unstarred Question Nos. 3221 to 3450	197-763

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 765-807

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

6th and 7th Reports 808

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

13th Report 809

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

24th Report 810

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 277th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Culture 811

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 282nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in 277th Report of the Committee on Demands for Grants (2020- 2021) pertaining to the Ministry of Culture.

Shri Arjun Ram Meghwal 812

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 323rd Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education

Shrimati Annapurna Devi 813

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 288th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Tourism

Adv. Ajay Bhatt 813

GOVERNMENT BILLS - Introduced 814-822

(i) National Commission for Homoeopathy (Amendment) Bill, 2021 814-816

(ii) National Commission for Indian System of Medicine (Amendment) Bill, 2021 817-819

(iii) Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021 820-822

MATTERS UNDER RULE 377 824-849

(i) Regarding setting up of a Sainik School in Godda Parliamentary Constituency

Dr. Nishikant Dubey 824-825

(ii) Regarding maintenance/construction of building lying near protected monuments of ASI

Dr. Sujay Vikhe Patil 826

(iii) Need to grant the status of central university to Harcourt Butler Technical Institute, Kanpur, Uttar Pradesh

Shri Devendra Singh 'Bhole' 827

(iv) Need to start construction of AIIMS in Darbhanga, Bihar

Shri Gopal Jee Thakur 828

(v) Need to develop Uttarkashi - Kamad - Ayarkhal - Budhakedar- Ghanshali - Mayali -Tilwara road into an all weather National Highway

Shrimati Mala Rajya Laxmi Shah 829

(vi) Need to set up a dispensary each in Narnaul, Charkhi Dadri and Bhiwani in Haryana for armed forces personnel

Shri Dharambir Singh 830

(vii) Need to review the new parameters fixed for insurance of banana crop

Shrimati Raksha Nikhil Khadse 831

(viii) Need to construct railway overbridge on level crossing No. 249C near Sandila Railway Station in Hardoi district, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 832

(ix) Need to confer Bharat Ratna Award on Major Dhyan Chand

Shri Anurag Sharma 833

(x) Need to ensure benefit of Fasal Bima Yojana to farmers of Hanumangarh and Sriganganagar districts in Rajasthan

Shri Nihal Chand Chouhan 834

(xi) Need to sanction and implement scheme for supply of piped natural gas in Jaipur, Rajasthan

Shri Ramcharan Bohra 835

(xii) Need to review tender process for awarding Government projects

Dr. Dhal Singh Bisen 836

(xiii) Regarding rapid growth of Julie Flora (Vilayati Babul) in Rajasthan particularly in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shrimati Jaskaur Meena 837

(xiv) Need to set up a bench of Rajasthan High Court at Udaipur in the State

Shri Kanakmal Katara 838

(xv) Need to review the decision to privatise NMDC's Nagarnar Steel Plant in Bastar District, Chhattisgarh

Shri Deepak Baij 839

(xvi) Regarding early commissioning of Pudukottai-Thanjavur via Gandarvakottai new railway line

Shri Su. Thirunavukkarasar 840

(xvii) Regarding Covid-19 vaccination drive in the country

Shrimati Aparupa Poddar 841

(xviii) Regarding 6 laning of Anakapalli-Annavaram-Diwancheruvu section

Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 842

(xix)	Need to extend the benefit of pension to employees of Jawahar Navodaya Vidyalaya **Shri Rajan Baburao Vichare**	843
(xx)	Need to provide funds for Araria - Galgalia Railway Line Project in Bihar **Shri Dileshwar Kamait**	844
(xxi)	Regarding improvement and modernization of stormwater drainage system of Cuttack **Shri Bhartruhari Mahtab**	845
(xxii)	Need to make available fertilizers and seeds to farmers and also set up procurement centres for wheat and paddy in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh **Shri Ramshiromani Verma**	846
(xxiii)	Regarding new BG line between Patancheru (Nagulapalli) – Sangareddy – Jogipet -Medak stations **Shri Kotha Prabhakar Reddy**	847
(xxiv)	Regarding release of socio-economic and caste census-2011 **Shrimati Supriya Sadanand Sule**	848
(xxv)	Regarding inclusion of Subabul and Eucalyptus under Non-GST items **Shri Kesineni Srinivas**	849

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (AMENDMENT) BILL, 2021 853-855

As passed by Rajya Sabha

Motion to Consider 853

Shrimati Nirmala Sitharaman 853-855

Clauses 2 to 29 and 1 855

Motion to Pass 855

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2021 856-859

As passed by Rajya Sabha

Motion to Consider 856

Shrimati Nirmala Sitharaman 856-859

Clauses 2 to 7 and 1 859

Motion to Pass 859

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2021 860-869

As passed by Rajya Sabha

Motion to Consider 860

Shri Arjun Munda 860-861, 868

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 863

Shri Sudip Bandyopadhyay 864

Shri Vinayak Bhaurao Raut 864-865

Shri N.K. Premachandran 865

Shri T.R. Baalu 865

Shri Ritesh Pandey	866
Shrimati Supriya Sadanand Sule	866
Shri Kiren Rijiju	867
Shri Pralhad Joshi	867
Motion to Pass	869

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions	827
Member-wise Index to Unstarred Questions	828-834

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions	835
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	836

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, August 09, 2021/Sravana 18, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi and other Martyrs of Quit India Movement

and

Azadi Ka Amrit Mahotsav

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सम्पूर्ण देश 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। 79 वर्ष पूर्व सन् 1942 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का शंखनाद करते हुए देश को अंग्रेजी शासन की दासता से मुक्त कराने के लिए समस्त देशवासियों को एकजुट होने का आह्वान किया था। 'करो या मरो' के नारे के साथ आरम्भ हुआ यह आन्दोलन धीरे-धीरे जन-आन्दोलन बन गया।

'भारत छोड़ो आन्दोलन' हमारे स्वाधीनता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, जिसने हमारे देश की आजादी के महान लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी।

इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और उन सभी शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है।

माननीय सदस्यगण, इसी वर्ष 12 मार्च से हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव अगले वर्ष 15 अगस्त तक चलेगा, जब हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर हमारा संकल्प है कि हम एकजुट होकर देश की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। हम सभी उन मनीषियों के उन आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करें, जिन पर वे अडिग रहे थे।

अब सभा, स्वतंत्रता संग्राम के सभी शहीदों की पुण्य समृति में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

The Members then stood in silence for a short while.

11.03 hrs

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulations to Shri Neeraj Chopra and Shri Bajrang Punia on winning Medals at Tokyo Olympics

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलम्पिक्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया यह पहला ओलम्पिक स्वर्ण पदक है। उनकी इस जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है।

इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है।

मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलम्पिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, 32वें ओलम्पिक खेल कल, 08 अगस्त को टोक्यों में सम्पन्न हुए। भारत को टोक्यो ओलम्पिक्स में एक स्वर्ण, दो रजत, चार कांस्य पदक सहित कुल सात पदक प्राप्त हुए हैं। यह आज तक के ओलम्पिक इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए मैं सदन की ओर से भारतीय दल के सभी खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय दल ने टोक्यो ओलम्पिक्स में जिस अदम्य साहस, अद्भुत लगन, उत्साह और अतुलनीय संकल्प शक्ति का परिचय दिया, वह हमारे लिए गर्व का विषय है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि टोक्यो ओलम्पिक्स में भारतीय दल की ऐतिहासिक उपलब्धियों से भारत के युवाओं में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा का संचार होगा तथा भारत भविष्य में खेलों की दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरेगा।

11.04 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 281 – श्री विवेक नारायण शेजवलकर।

(Q. 281)

… (व्यवधान)

11.05 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Bhagwant Mann, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

श्री विवेक नारायण शेजवलकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दो जानकारियाँ जानना चाह रहा हूं। ऐतिहासिक स्मारकों के पर्यटन की दृष्टि से विकास और रख-रखाव में 'अपनी धरोहर, अपनी पहचान' योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र व सभी स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी स्वागत योग्य है।… (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एएसआई द्वारा घोषित प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में पूजा-प्रार्थना आदि गतिविधियों को अनुमति दिए जाने संबंधी शासन की क्या नीति है? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण समय है। आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें।

… (व्यवधान)

श्री विवेक नारायण शेजवलकर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि ग्वालियर का प्रसिद्ध ग्वालियर दुर्ग देश की अमूल्य पुरातात्विक धरोहर में शुमार होता है । इस दुर्ग का गौरवशाली इतिहास भी है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल के माध्यम से आप जनता के महत्वपूर्ण सवालों को पूछें और सरकार की जवाबदेही तय करें ।

... (व्यवधान)

श्री विवेक नारायण शेजवलकर : इसमें विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार सम्भावनाएँ हैं । सरकार इस दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने हेतु क्या कार्रवाई कर रही है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएँ घोषित की गई हैं और मध्य प्रदेश के लिए भी जो योजनाएँ घोषित की गई हैं, उनका भी विवरण इसमें लगाया गया है ।... (व्यवधान) सारी योजनाओं की सूची इसमें लगाई गई है । अगर अध्यक्ष महोदय कहें तो मैं हरेक को पढ़ कर आपको बता देता हूं । वैसे तो केन्द्र सरकार जो सहायता देती है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं चर्चा कराना चाहता हूं, आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जनता के महत्वपूर्ण सवालों को उठाना नहीं चाहते हैं । यह गलत बात है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

____

<u>11.30 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

<u>11.30 ½ hrs</u>

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Gaurav Gogoi, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या – 282, श्री सुब्रत पाठक जी।

… (व्यवधान)

(Q. 282)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, विवरण सभा पटल पर रखें।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): A statement is laid on the Table of the House.

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या – 283, श्री गोपाल शेट्टी जी।

… (व्यवधान)

(Q. 283)

श्री गोपाल शेट्टी : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यावाद जो आपने मुझे इस प्रश्न को पूछने का अवसर प्रदान किया है। …(व्यवधान)

महोदय, इस प्रश्न के विषय पर मैं सन् 2014 से लगातार काम कर रहा हूँ। …(व्यवधान) मेरे अन्य साथी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। …(व्यवधान) उनसे पहले के लोगों ने भी इस पर काम किया होगा। …(व्यवधान) मैं पूर्व मंत्री प्रहलाद पटेल जी का अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस विषय पर बहुत काम किया है। …(व्यवधान) मद्रास उच्च न्यायालय में जितने केसेज़ चलते थे, उन सभी केसों का निबटारा एक साथ कर के सरकार को निर्णय करने के लिए कहा गया। …(व्यवधान) सरकार ने तीन सदस्यीय समिति बनाई। …(व्यवधान) उस समिति का इतिहास ऐसा हो गया कि तीन सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई, दूसरे ने वीआरएस ले लिया और तीसरा सदस्य रिटायर हो गया। …(व्यवधान) फिर प्रधान मंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप कर के नई समिति गठन करने का निर्देश दिया। …(व्यवधान) नई समिति का गठन प्रह्लाद पटेल जी के नेतृत्व में हुआ। …(व्यवधान) अभी वह समिति काम कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। …(व्यवधान) कभी-कभी प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि कुछ काम कुछ लोगों के भाग्य में ही लिखा हुआ होता है। …(व्यवधान) मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी के जो हमारे मंत्री महोदय हैं, उनके भाग्य में महाराष्ट्र का यह काम लिखा हुआ है। …(व्यवधान) इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस विषय का निबटारा कब तक होगा और मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त होगा? …(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस सर्वोच्च सदन में उपस्थित किया है। …(व्यवधान) महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए जो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसकी सिफरिश भी पक्ष में आई है। …(व्यवधान) जैसा कि सदस्य ने भी जिक्र किया है। … (व्यवधान) महोदय, अक्टूबर, 2004 का एमएचए का एक नोटिफिकेशन है और नवंबर, 2005 का भी एमएचए का ही एक और नोटिफिकेशन है, जिसके तहत क्लासिकल लैंग्वेज का काम संस्कृति मंत्रालय के पास आया। …(व्यवधान) उसके बाद इस विषय पर काम शुरू हुआ। …(व्यवधान) जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा है कि काम काफी तेज़ गति से आगे बढ़ा है, लेकिन मामला अभी अण्डर कंसीड्रेशन है। …(व्यवधान) जिस समिति की बात माननीय सदस्य कर रहे थे, आठ सदस्यों की एक समिति सरकार ने बनाई है। …(व्यवधान) मुझे लगता है कि वह संपूर्ण तथ्यों पर सकारात्मक दृष्टि से चर्चा कर के इस दिशा में सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ेगी। …(व्यवधान) ऐसा मेरा मानना है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

श्री गोपाल शेट्टी : सभापति जी, मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। … (व्यवधान) सभापति जी, महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। … (व्यवधान) एक छोटा सा, गली के विषयों पर काम करने वाले कार्यकर्त्ता को दिल्ली तक पहुंचाया है। … (व्यवधान)

सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे इस कार्यकाल में महाराष्ट्र के इतने बड़े काम में मुझे हस्तक्षेप करने का मौका मंत्री जी द्वारा प्राप्त कर के क्या मुझे दिया जाएगा? … (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ। … (व्यवधान) वे हमारे मित्र भी हैं। … (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी तक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जिन-जिन भाषाओं को मिला है, उनमें – तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भी है। … (व्यवधान) महोदय, मराठी भाषा का दर्जा अण्डर कंसीड्रेशन है। … (व्यवधान) जैसा मैंने कहा है कि सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से सारी परिस्थितियों का विश्लेषण कर के और जो माननीय सदस्य ने कहा है, उसी दिशा में आगे तेज़ी से बढ़ेगी। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अरविंद सावंत जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या – 284।

श्री बैन्नी बेहनन जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एंटो एन्टोनी जी।

… (व्यवधान)

(Q.284)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, विवरण सभा पटल पर रखें।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): A statement is laid on the Table of the House.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल भी चर्चा का एक बड़ा माध्यम है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: वापस जा कर प्रश्न काल में भागीदारी कीजिए और अपने सवाल पूछिए।

… (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 285 to 300
Unstarred Question Nos.3221 to 3450)
(Page No. 24 to 763)

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय सभापति: सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

<u>11.34 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

____

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

12.0 ½ hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Kalyan Banerjee, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 से 10 तक – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी की ओर से, शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2021 जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।… (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4610/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 158 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2021 जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 159 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

तीन)) कंपनी (लेखे) संशोधन नियम, 2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 206 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

पांच)) कंपनी (लेखे) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 247(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 248 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 392 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2021 जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 409 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का निर्माण और रखरखाव) संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 418 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 419 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 जो 23 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 432 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (निगमन) पांचवा संशोधन नियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 503 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेजों और प्ररूपों को दायर करना) नियम, 2015 जो 10 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (छह) और (तेरह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4611/17/21]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1256 (अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि. 207(अ) जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 4612/17/21]

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 14 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी075 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरणों की मॉडल उप-विधियां और शासी बोर्ड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी076 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी077 में प्रकाशित हुए थे।... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4613/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4614/17/21]

(3) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4615/17/21]

(5) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4616/17/21]

(7) (एक) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।… (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4617/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री पंकज चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2020-2021 के दौरान केन्द्रीय सरकार की बाजार उधारियों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4618/17/21]

(2) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 10/6/2010-ईसीबी-भाग(एक), जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जैसा कि अधिसूचना के स्तंभ दो में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों पर ऐसे अपवादों, रूपांतरणों और अभिस्वीकरणों, जैसा कि

अधिसूचना के स्तंभ संख्या 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4619/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2018-2018 और वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2018-2018 और वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4620/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4621/17/21]

(3) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4622/17/21]

(5) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। … (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4623/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्रीमती अन्नपुर्णा देवी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (समग्र शिक्षा अभियान), शिलांग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (समग्र शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4624/17/21]

(3) (एक) समग्र शिक्षा त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4625/17/21]

(5) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4626/17/21]

(7) (एक) समग्र शिक्षा नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4627/17/21]

(9) (एक) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4628/17/21]

(11) (एक) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4629/17/21]

(13) (एक) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4630/17/21]

(15) (एक) ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम अथॉरिटी (समग्र शिक्षा), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम अथॉरिटी (समग्र शिक्षा), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4631/17/21]

(17) (एक) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4632/17/21]

(19) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4633/17/21]

(21) (एक) समग्र शिक्षा गोवा, एल्टो - बेतीन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (रण तथा अंग्रेजी संस्कहिन्दी) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा गोवा, एल्टो – बेतीन वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा 2020-2019 (रण तथा अंग्रेजी संस्कहिन्दी) समीक्षा की एक प्रति।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4634/17/21]

(23) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (समग्र शिक्षा), पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (समग्र शिक्षा), पटना के वर्ष 2019 – 2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4635/17/21]

(25) (एक) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 201820-19 के वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा 2020-2019 समीक्षाके बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।… (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4636/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. सुभाष सरकार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4637/17/21]

(3) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4638/17/21]

(5) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4639/17/21]

(7) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4640/17/21]

(9) (एक) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4641/17/21]

(11) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4642/17/21]

(13) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4643/17/21]

(15) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4644/17/21]

(17) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2017-2018 और वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4645/17/21]

(19) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4646/17/21]

(21) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4647/17/21]

(23) (एक) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2019 – 2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4648/17/21]

(25) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2019 – 2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4649/17/21]

(27) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2017 - 2018 और वर्ष 2018 – 2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा हिन्दी) (रणअंग्रेजी संस्क तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2017 - 2018 और वर्ष 2018 - 2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4650/17/21]

(29) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4651/17/21]

(31) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4652/17/21]

(33) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4653/17/21]

(35) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4654/17/21]

(37) (एक) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2019 – 2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (रण तथा अंग्रेजी संस्कहिन्दी)।।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4655/17/21]

(39) (एक) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगौड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगौड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगौड़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4656/17/21]

(41) (एक) शास्त्री इंडो – कनाडियन इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शास्त्री इंडो – कनाडियन इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4657/17/21]

(43) (एक) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4658/17/21]

(45) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4659/17/21]

(47) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4660/17/21]

(49) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडू, थिरूवरूर के के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडू, थिरूवरूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4661/17/21]

(51) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटरक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलबुर्गी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटरक के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4662/17/21]

(53) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4663/17/21]

(55) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 201820-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4664/17/21]

(57) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कोरापुट के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4665/17/21]

(59) (कए) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4666/17/21]

(61) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2017-2018 और वर्ष 2018 - 2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2017-2018 और वर्ष 2018 - 2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4667/17/21]

(63) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2017 – 2018 और 2019 - 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2017 – 2018 और 2019 - 2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2017 – 2018 और 2019 - 2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4668/17/21]

(65) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4669/17/21]

(67) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4670/17/21]

(69) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4671/17/21]

(71) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2019 – 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2019 – 2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4672/17/21]

(73) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4673/17/21]

(75) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019 – 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019 – 2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा (अंग्रेजी संस्करण हिन्दी तथा) उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4674/17/21]

(77) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा के वर्ष 2018 – 2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण हिन्दी तथा)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4675/17/21]

(79) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4676/17/21]

(81) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष वर्ष 2019 – 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष वर्ष 2019 – 2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4677/17/21]

(83) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2019 – 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4678/17/21]

(85) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2019 – 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4679/17/21]

(87) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4680/17/21]

(89) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4681/17/21]

(91) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4682/17/21]

(93) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4683/17/21]

(95) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4684/17/21]

(97) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) उपर्युक्त (97) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4685/17/21]

(99) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) उपर्युक्त (99) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4686/17/21]

(101) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4687/17/21]

(103) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) उपर्युक्त (103) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4688/17/21]

(105) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) उपर्युक्त (105) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4689/17/21]

(107) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) उपर्युक्त (107) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4690/17/21]

(109) (एक) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) उपर्युक्त (109) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4691/17/21]

(111) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) उपर्युक्त (111) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4692/17/21]

(113) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत यूजीसी (इंस्टिट्यूशन्स ऑफ ऐमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज (संशोधन)) विनियम, 2021 जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना सं. एफ.सं. 1-4/2016 (आईओई) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) उपर्युक्त (113) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4693/17/21]

(115) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संकाय/स्टाफ सदस्य की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2021 जो 25 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना सं. एफ.सं. 1-103/एआईसीटीई/पीजीआरसी/विनियमन/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) उपर्युक्त (115) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। … (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4694/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. भागवत कराड जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एक्सपोर्ट – इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 202020-2के वार्षिक 1 प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट – इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4695/17/21]

(2) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणः-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 /9 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 /9 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 /9 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 /9 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गम और वापसी) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 /8 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 /7 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 /5 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4696/17/21]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.514(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.246(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4697/17/21]

(4) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धरा 58 के अंतर्गत बीमांकक (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2021 जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4698/17/21]

(5) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनयम, 1989 की धारा 52 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 9 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआरवी सं.एल001181723/स्टाफ.जन.(2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4699/17/21]

(7) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण और ऋण वसूली अपील अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4700/17/21]

(9) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 460(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 जो जुलाई 22, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. I-13011/03/2021 – इंस.I में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. I-13011/03/2021 – इंस.I में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ .सं .I-.इंस-2021/03/13011I में प्रकाशित हुए थे। … (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4701/17/21]

12.01 ½ hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
6th and 7th Reports

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति जी, मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन " विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याध संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की – गई – कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) "जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अब अनुसूचित जनजातियां घटक (एसटीसी) कही जाने वाली अनुसूचित जनजाति उप – योजना (एसटीएसपी) की निगरानी और अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा कल्याण के लिए इसके कार्यान्वयन " विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की – गई – कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

12.02 hrs

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

13th Report

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Chairperson, Sir, I beg to present the Thirteenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (Seventeenth Lok Sabha) on the subject 'Procurement, Storage and Distribution of Foodgrains by Food Corporation of India' of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution). … (*Interruptions*)

12.02 ½ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
24th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, I beg to present the Twenty-fourth Report of the Business Advisory Committee. … (*Interruptions*)

12.03 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 277th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Culture.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 277th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Culture.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4606/17/21

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 282nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in 277th Report of the Committee on Demands for Grants (2020- 2021) pertaining to the Ministry of Culture.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 282nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in 277th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Culture.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4607/17/21.

12.03 ½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 323rd Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education*

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): सभापति महोदय, मैं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 323वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य को सभापटल पर रखती हूं ।... (व्यवधान)

12.04 hrs

(iii)Status of implementation of the recommendations contained in the 288th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Tourism*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): आदरणीय सभापति जी, मैं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य को सभापटल पर रखता हूं।... (व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4608/17/21 and 4609/17/21 respectively.

12.05 hrs

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) National Commission for Homoeopathy (Amendment) Bill, 2021*

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Commission for Homoeopathy Act, 2020."

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjan Ji, call your fellow MPs to come to their seats.

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ ।**…** (व्यवधान) आज विपक्ष के सभी दल इकट्ठा होकर,… (व्यवधान) हम सभी चर्चा कर रहे हैं।… (व्यवधान)

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 09.08.2021.

सर, एक मिनट के लिए सुनिए।... (व्यवधान) यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री मनीष तिवारी जी।

... (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairman Sir, the Bill cannot be moved in this manner. The manner in which the legislative business is being conducted in this House is in violation of Article 107 of the Constitution. It is in violation of Rules 74 and 76 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. ... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I oppose the introduction of the Bill to amend the National Commission for Homoeopathy Act, 2020. It is in violation of the Rules of the House and the Government brought an Ordinance to amend the National Commission for Homoeopathy Act. It will distort the Homoeopathy profession. I want that the Bill be withdrawn and the Statutory Resolution given by us opposing the Ordinance should be put to vote.

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहेंगे?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, this is a very important amendment and this is absolutely necessary and I believe the hon. Member must appreciate the move because it is for the betterment of homoeopathy in the country.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I introduce the Bill.

12.07 hrs

(ii) National Commission for Indian System of Medicine (Amendment) Bill, 2021*

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020."

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ **:**

> "कि राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन जी।

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I shall stand to oppose the introduction of the Bill in such a brazen manner because for the past few days, we have been demanding for the discussion on Pegasus... **which is concerning with the entire country. … (*Interruptions*)

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 09.08.2021.

** Expunged as ordered by the Chair.

माननीय सभापति : श्री मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप केवल बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, … (व्यवधान) सदन के अंदर लोकतंत्र की … * की जा रही है।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, अधीर रंजन जी गलत बोल रहे हैं। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। … (व्यवधान) हमने चर्चा के लिए बीएसी में सब्जेक्ट तय किया था।… (व्यवधान)

सभापति जी, यह सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairman Sir, the House is not in order. No Bill can be introduced in this situation. Democracy is being …* in this House. … (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I introduce the Bill.

12.09 hrs

(iii) Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन जी, आप केवल बिल के संबंध में बोलिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjan Ji, are you opposing or are you in favour of the Bill?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, इस तरीके का गतिरोध न किया जाए। … (व्यवधान) मेरी बात सुनने का धैर्य रखिए।… (व्यवधान)

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 09.08.2021.

माननीय सभापति: आप मत बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your leader is speaking.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, बात यह है की सदन की एक रेस्पांसिबल पार्टी होने के नाते, हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। इसलिए आज सारे विपक्षी दलों ने फैसला लिया है की आप जो 127वें कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, इसके साथ हिंदुस्तान के, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का ताल्लुक है।…(व्यवधान) इस सदन में जब 102वां अमेंडमेंट बिल पास किया गया था…(व्यवधान) बोलने दीजिए।…(व्यवधान) जब इस सदन में 102वां अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, तब हम लोगों ने सरकार को यह नसीहत दी थी, इसके लिए सचेत किया था कि आप प्रदेशों के अधिकार का हनन मत कीजिए। …(व्यवधान) लेकिन इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। …(व्यवधान) बहुमत की बाहुबली से हमारी बात नहीं सुनी गई। …(व्यवधान) लेकिन आज क्या हुआ?…(व्यवधान) आज जब हिंदुस्तान के आम लोग, हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन करते हैं, तो ये उनके आंदोलन की डर की चपेट में आ चुके हैं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात हो गई। बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय सभापति महोदय, यह विरोध केवल राजनीतिक आधार पर है। …(व्यवधान) इनके जो शासित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी लगातार इस बिल को लाये जाने की मांग की जा रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है**:**

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थपित करता हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

12.30 ½ hrs

At this stage, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri E.T. Mohammed Basheer, Shri Gaurav Gogoi and some other Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

12.31 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को बीस मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(i)Regarding setting up of a Sainik School in Godda Parliamentary Constituency

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I wish to draw the kind attention of the Government towards the backwardness of Santhal Pargana region in general and the area(s) of Godda and Deoghar, in particular which happens to be my Lok Sabha constituency. The overall condition of Education in this region is a subject matter of utter neglect inspite of the fact that since time immemorial, the entire region was considered to be a harbinger of ancient education practices and dissemination of social norms and mores. There has been a vociferous demand of establishing a Sainik School in Godda/Deoghar so that this area could also share the pride of having quality education to their children.

* Treated as laid on the Table.

In February 2016, the then Honourable Defence Minister, visited my constituency and after acknowledging the backwardness of the region, he was kind enough to announce setting up of a Sainik School in Godda/Deoghar. Further, as a consequence to the said announcement, the Project for establishing a Sainik School was immediately sanctioned by the Ministry of Defence. However, it is a matter of concern that since then, more than five years have elapsed, but the entire Project has not witnessed any visible progress due to alleged sheer apathy of the State Government of Jharkhand.

(ii) Regarding maintenance/construction of building lying near protected monuments of ASI

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): There has been denial of permission to people having buildings or properties near protected monuments of Archaeological Survey of India to construct, alter or modify the existing structure within prohibited area of 100 sm without the approval of ASI under Section 20A of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act. Due to refusal of permission for maintenance or renovation, several residential buildings have become structurally unsafe and in a dilapidated condition which make them prone to accidents and puts the life of the residents at risk. I request the Government to kindly ensure that necessary directions are given to the concerned department that if proposed construction within prohibited area does not adversely affect the ancient and historical monuments then permission for construction be given and a notification be issued to reduce the distance from 100m to 50 or 25m for allowing construction under Section 20A of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

(iii) Need to grant the status of central university to Harcourt Butler Technical Institute, Kanpur, Uttar Pradesh

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): मै सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश कानपुर की शान हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान, कानपुर को केन्द्रीय विश्व विद्यालय का दर्जा दिलाये जाने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

वर्ष 1920 में स्थापित हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान को मार्च 1965 में सरकारी स्वयत्तता हेतु अपग्रेड किया गया था बेहतर तकनीकी शिक्षा के कारण उत्तर प्रदेश का गहना इन द क्राउन नाम दिया गया विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण विश्व में एल्युमिनी नेटवर्क है जो अपने प्रभाव में विरासत, संस्कृति और महान संसथान को आगे बढ़ा रहा है। संस्थान उत्तर प्रदेश में अहर्ता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पहली पसंद रहा है संस्थान के शिक्षकों ने प्रौद्योगिकी योगदान से इसमें चार चाँद लगा दिए और इसकी गरिमा को निरन्तर बनाये रखा है। संस्थान उत्तर प्रदेश के तीन प्राविधिक संस्थानों में हमेशा प्रथम एवं श्रेष्ट रहा है। संस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है एवं प्रारम्भिक काल से ही विज्ञानं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमेशा आदर्श एवं प्रेरणाश्रोत रहा है और क्षेत्र में योगदान से सामाजिक आवश्यकताओं का पूरक रहा है। विश्वविद्यालय 348 एकड़ भूमि में फैला हुआ है जिसका 30 प्रतिशत निर्माणधीन एवं 70 प्रतिशत शैक्षिक गतिविधियों के विस्तार हेतु उपलब्ध है। विश्वविद्यालय बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमबीए एवं विभिन्न विद्याओं में पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश ले रहा है। समाज एवं मानवता उत्थान हेतु भविष्य में नए पाठ्यक्रम विस्तार करने की योजना रखता है। मेरा अनुरोध है कि संस्थान के स्वर्णिम 100 वर्ष पूर्ण करने और संस्थान के गौरवशाली इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए इसे केन्द्रीय विश्व विद्यालय का दर्जा दिलाये जाने हेतु सम्बंधित को आवश्यक आदेश / निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

(iv) Need to start construction of AIIMS in Darbhanga, Bihar

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में 750 बेड वाले एम्स का निर्माण 1264 करोड़ रुपए की लागत से होना सुनिश्चित है, जिसके लिए दिनांक 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परंतु अभी तक इसका निर्माण प्रारंभ नहीं सका है।

दरभंगा एम्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सा मूलभूत कार्यों का किया जाना है, और मंत्रालय स्तर से इस कार्य को जल्द पूरा करने हेतु क्या कोई पहल किया जा रहा है।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एम्स निर्माण को स्वीकृति दिए जाने बाद 10 महीना बीत जाने के वाबजूद इसका कार्य प्रारंभ नही हो पाया है। क्या सरकार द्वारा इसके निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित किया गया है।

यह लोकहित के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और एम्स निर्माण में विलंब होने के कारण जनता में अविश्वास की भावना जागृत हो रही है। चूंकि यह सबसे महत्वपूर्ण एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा मामला है, अतः इसका निर्माण तय समय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है। ताकि इसका लाभ करोड़ों मिथिलावासियों को मिल सके।

(v) **Need to develop Uttarkashi - Kamad - Ayarkhal - Budhakedar-Ghanshali - Mayali -Tilwara road into an all weather National Highway**

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं अपने संसदीय क्षेत्र उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तर की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। उत्तरकाशी से कम दूरी, सरल-सुगम एवं पौराणिक बूढ़ा केदार मंदिर को जोड़ने वाला, उत्तरकाशी कमद-अंयारखाल, बूढाकेदार, घनसाली, मयाली, तिलवाड़ा मोटर मार्ग को ऑलवेदर रोड (चारधाम प्रोजेक्ट) को जोड़ने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है। बूढाकेदार-अंयारखाल, उत्तरकाशी मोटर मार्ग यातायात के लिए विगत एक दशक पूर्व खोला गया था। यह मार्ग सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुगम बनाने तथा प्राचीन पौराणिक बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर तथा उत्तरकाशी-बूढा केदार मंदिर को जोड़ते हुए निर्माणाधीन दो ऑलवेदर रोड़ एन.एच.-108 तथा 109 को बीच में सुगमता से जोड़ने तथा दूरी कम करने वाला मार्ग है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि सीमांत जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल, नेलांग में स्थित आर्मी कैंप से सीमांत चमोली के जोशीमठ, माणा में स्थित आमी कॅप जोड़ने वाला मार्ग है।

उपरोक्त वर्णित मार्ग पर पड़ने वाले अविकसित पौराणिक व प्राकृतिक सौदर्य वाले स्थल को मानचित्र पर पहचान मिल सकेगी तथा उत्तरकाशी स्थित बाबा काशीनाथ, बूढ़ा केदार के दर्शन व पवित्र नदी मां भागीरथी में स्नान के लिए सीमांत क्षेत्र की जनता को वर्षभर हर मौसम में सुविधा मिलती रहेगी।

अतः मेरा केन्द्रीय मंत्री जी से आग्रह है कि जनभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त मार्ग को ऑलवेदर राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु स्वीकृति देने की कृपा करें।

(vi) Need to set up a dispensary each in Narnaul, Charkhi Dadri and Bhiwani in Haryana for armed forces personnel

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र सैन्य बहुल है। महेंद्रगढ जिले की बात करूँ तो लगभग प्रति तीसरे चौथे घर से एक सैनिक है जो दिन रात देश सेवा में लगे है। भिवानी व चरखी दादरी जिले में भी सैनिक बहुत है। जब भी सैनिकों के साथ कोई दुर्घटना होती है व देश के लिए शहीद होते हैं तो मेरे संसदीय क्षेत्र का जवान उन शहीदो में जरुर मिलता है। संख्या का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते है। अकेले नारनौल व उसके आसपास की बात करें तो सेवारत एवं सेवानिवृत जवान लगभग 15 हज़ार है। लेकिन इन जवानों व इनके परिजनों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई डिस्पेंसरी / वैलनस सैंटर नही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि नारनौल – चरखीदादरी – भिवानी में एक – एक डिसपैंसरी खुलवाई लाए ताकि सेना व पैरामिलिट्री फोर्स के जवान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर – दूर तक न भटकें।

(vii) Need to review the new parameters fixed for insurance of banana crop

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): केले फसल बीमा के लिए नये निर्धारित प्रमाण तीन साल ब्लाक के लिए है, चालू वर्ष में जलगाँव जिले से लोअर टेम्परेचर ठंड मौसम प्रमाण में एक भी गांवमंडल में लोअर टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं हुआ/, जबकि गर्मी के सीजन में एकमात्र भोकर महसूल मंडल ने ऊँचा (high) टेम्परेचर 45 डिग्री रिकॉर्ड किया है जिससे 32000 किसानो में से कुछ ही किसानों को किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से राहत मिलेगी और आने वाले वर्ष में फसल बीमा के अंतर्गत जलगाँव जिले से किसानों की संख्या और कम होने की आशंका है | मई माह के आखिरी दिनों में और जून माह के पहले सप्ताह में जोरदार तूफान व बारिश से केले की फसल और तैयार केले का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है| महाराष्ट्र राज्य ने आने वाले तीन साल ब्लाक फसल बीमा के लिए जो नए प्रमाण निर्धारित किये है, वे प्रमाण इस तरह से निर्धारित किये है कि पूरे जिले में से थोड़ा भी केले का फसल क्षेत्र कभी भी फसल बीमा हेतु एलिजिबल नहीं हो सकता जो कि इस वर्ष के रिकार्ड ने नेचुरली प्रस्थापित किया है। मैं सरकार से एवं कृषि मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि केंद्र सरकार के संबधित अधिकारी कों इस प्रस्तावित नए प्रमाण की अच्छी तरह से जाँच करने और इन नेचुरल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में केले की तैयार फसल की लागत के लिए खर्च की हुई राशि के ज्यादा से ज्यादा नुकसान भरपाई हेतु फसल इन्शुरन्स के माध्यम से किसानों को देने का निवेदन करती हूँ|

(viii) Need to construct railway overbridge on level crossing No. 249C near Sandila Railway Station in Hardoi district, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ने पत्र संख्या 364/2020/218आर./23.11.2020-1/2(144)/2020, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद हरदोई में सण्डीला रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेलवे समपार संख्या 249-सी पर रेल उपरगामी सेतु को रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु रेलवे की सहमति एवं लागत में सहभागिता के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराए जाने हेतु अनुरोध करते हुए सभी मुद्दों पर सहमति प्रदान की जा चुकी है। लेकिन अभी भी इस कार्य में शिथिलता हो रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए उपरोक्त रेलवे ऊपरी पुल, जिसके निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है, को रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के कोर्डिनेशन से शीघ्र करवाए जाने हेतु समुचित कदम उठाए।

(ix) Need to confer Bharat Ratna Award on Major Dhyan Chand

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): यह उत्सव का समय है, भारत के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो ओलंपिक में किए जा रहे ऐतिहासिक प्रदर्शन पर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में फील्ड हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हम सभी याद कर रहे हैं, दद्दा ध्यानचंद के कारण ही भारत ओलंपिक्स में फील्ड हॉकी में 3 बार स्वर्ण पदक जीता है, आज भी उनके द्वारा किए गए 570 गोल्स का रिकॉर्ड, एक एशियाई रिकार्ड है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, लंबे समय से इस देश में मेजर ध्यानचंद को खेलों में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए भारत रत्न देने की मांग उठाई जाती रही है। अतः मेरी माननीय खेल मंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी से मांग है कि जनभावना को देखते हुए राष्ट्रीय खेल के महान खिलाड़ी झांसी के दद्दा, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित करने का कष्ट करें।

(x) Need to ensure benefit of Fasal Bima Yojana to farmers of Hanumangarh and Sriganganagar districts in Rajasthan

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत से किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है। बैंक और बीमा कंपनियों के द्वारा गलत डाटा अपलोड करने के कारण बहुत से किसानों को प्रीमियम जमा करने के बाद भी नुकसान के हर्जाने के रूप में मिलने वाला लाभ अभी तक नहीं मिल सका है। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2020 के मध्य बहुत से किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए है। जिला हनुमानगढ़ में पीलीबंगा तहसील के बहुत से किसानों की बरानी भूमि को इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा गलत अंकित किया गया है, ऐसे ही श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील के किसानों को केवल बुवाई प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने पर इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के वंचित किसानों को इस योजना का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए।

(xi) Need to sanction and implement scheme for supply of piped natural gas in Jaipur, Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने देश में हर साल लगभग 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को घरेलू प्रदूषण के कारण होने वाली मौत से बचाया है और यह सब प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के सफल क्रियान्वयन से संभव हो पाया है।

मैं माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी का 04 दिसम्बर, 2015 को जयपुर जिले के जोबनेर स्थित आसलपुर ग्राम में कोटा – जोबनेर बहउत्पादन पाइप लाइन एवं जोबनेर संस्थापन को राष्ट्र को समर्पण अवसर पर की गई घोषणा की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं जिसमें आपने स्मार्ट शहरों के लिए चयनित जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में पाईप लाईन से गैस आपूर्ति करने की योजना थी, लेकिन अभी तक इस महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रथम चरण में चयनित जयपुर शहर में पाईप लाईन के माध्यम से गैस अपूर्ति योजना अभी भी मूर्तरूप नहीं ले पाई है, जबकि जमीन पर तेल एवं गैस के उत्पादन में राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जयपुर में भी पाईप लाईन गैस आपूर्ति करने की योजना की स्वीकृति शीघ्र दें, जिससे जयपुरवासियों को पाईप लाईन द्वारा गैस मिले और उसका लाभ प्राप्त कर सकें।

(xii) Need to review tender process for awarding Government projects

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सम्पूर्ण के ध्यान मे है कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य यथा सड़क, बिजली, पानी, तालाब, नहर, शिक्षा, चिकित्सा टेंडर द्वारा होते है। विभाग या शासन द्वारा बनायी गई लागत मूल्य से अत्यधिक कम दर (35% तक) पर करना स्वीकार करते हैं एवं शासन / विभाग को सबसे कम दर के सफल निर्माणकर्ता को कार्य करने की अनुमति देनी पड़ती है। अत्यधिक दर कम होने से सफल टेंडर लेने वाली फर्म या व्यक्ति द्वारा समय सीमा मे या तो कार्य नहीं होता या काम गुणवत्ता का नहीं होता है या कई बार नुकसान होने के कारण टेंडर प्राप्तकर्ता कार्य छोड़ देता है या विभाग द्वारा कार्य ठीक न होने, समय पर न करने आदि कारणों से निरस्त करना पड़ता है। इससे जहां कार्य प्रभावित होता है वहीं जनता को अधूरे निर्माण कार्य से तकलीफ होती है। रेटेंडर करने मे समय ज्यादा लगता है, लागत व्यय बढ़ जाती है जिससे शासन का नुकसान होता है एवं इसका दुष्परिणाम जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है।

जो डी पी आर बनती है या तो वह त्रुटिपूर्ण है या अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के चलते कम दर पर टेंडर डालने से है। यदि एस प्रक्रिया पर कोई राईडर लगे या डी पी आर एवं कम दर के अंतर की राशि टेंडर प्राप्तकर्ता से जमा करायी जाए एवं कार्य पूर्ण हो जाए तभी उसकी राशि लौटायी जाए या उस राशि से अपूर्ण कार्य को पूरा किया जाए।

(xiii) Regarding rapid growth of Julie Flora (Vilayati Babul) in Rajasthan particularly in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सम्पूर्ण देश में दशकों पूर्व देश की धरती पर (जूली फ्लोरा) विलायती बबूल के बीजों का हेलीकोप्टर से छिड़काव किया था। आज यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि राजस्थान के उपजाऊ चारागाह एवं पठारी व पहाड़ियां इस वृक्ष के कारण वांजर ही नहीं बल्कि कांटो भरी हो गई है। इस वृक्ष को बकरियां या पशु भी नहीं खाते। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा (राजस्थान) में इसकी बहुतायत इतनी हो गई है कि गांवों के रास्ते भी छोटे हो गये। मैं सदन के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अपील करना चाहती हूं कि सरकारी अभियान चलाकर विलायती बबूल को नष्ट करके इमारती व पशुओं के खाने योग्य वृक्षों व पौधों के रोपण का काम शीघ्र किया जाए। इस विदेशी बबूल के कांट से कैंसर जैसे रोग ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहे हैं। आज इस वृक्ष ने उपजाऊ ओर उपयोगी भूमि का सर्वनाश कर दिया है। शीघ्र ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

(xiv) Need to set up a bench of Rajasthan High Court at Udaipur in the State

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): डूॅंगपरु, बाँसवाड़ा, उदयपुर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ के लोगो की माली हालत बहुत ही खराब है। छोटे – बड़े मुकदमें होते रहते हैं, इसको लड़ने के लिए 500 से 5500 कि0मी0 दूर जोधपुर हाई कोर्ट के बैंच जाना आना पड़ता है। गरीब क्षेत्र है लोगो की बहुत ही परेशान है। उदयपुर हाई कोर्ट के एक बैंच के लिए लम्बे समय से यहाँ के लोगो की जनप्रतिनिधियों से माँग रही है। मैं माँग करता हूॅं कि उदयपुर संभाग व विशेष कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट की एक बैंच उदयपुर में स्थापित की जाए।

(xv) Need to review the decision to privatise NMDC's Nagarnar Steel Plant in Bastar District, Chhattisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर): भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले अंतर्गत एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है। 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक खर्च करके तकरीबन 15 वर्षों से निर्माणाधीन प्लांट से स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर और विकास का रास्ता प्रशस्त होने वाला था कि केन्द्र सरकार इसका विनिवेश कर निजी हाथों को सौपने जा रही है। प्लांट हेतु 610 हैक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहित है।

छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में 28 दिसंबर 2020 को इस प्लांट के संचालन हेतु प्रस्ताव पास करवारकर केन्द्र को भेजा है। राज्य सरकार चाहती हैं कि सरकारी संपत्ति निजी हाथों में न जाए जिससे स्थानीय लोगों का चहु चहुंमुखी विकास का रास्ता प्रशस्त हो।

मेरी मांग है कि एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट का केन्द्र सरकार निजीकरण न करें और केन्द्र सरकार इसे चलाने में सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार राज्य को इस संयंत्र को सौप दें।

(xvi) Regarding early commissioning of Pudukottai-Thanjavur via Gandarvakottai new railway line

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): The Survey for Pudukottai -- Thanjavur *Via.* Gandarvakottai New Railway Line Project (65 Kms.) was sanctioned in 2012-2013. However, no progress has been made in this respect so far.

Pudukottai, a district headquarters, in Tamil Nadu is having a number of educational institutions and places of historical importance. Various Central / State Government offices, PSUs are functioning and families of Ex. Servicemen are also settled here. However, Pudukottai is having only limited train facilities and with the result, people are facing a lot of difficulties. If this proposed project is implemented, it will further promote industrialization and tourism.

As this project is a long pending demand of the people of this region, I humbly urge upon Hon'ble Minister of Railways to take necessary steps for early commissioning of Pudukottai — Thanjavur *Via.* Gandarvakottai New Railway Line project by allocating adequate funds without delay.

(xvii) Regarding Covid-19 vaccination drive in the country

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Vaccination drive in India is too slow when compared with other countries. Even after developing vaccines in our country, it is sad that our fellow citizens are not able to get it. Many of the states which hold proper testing procedures show a high number of new Covid 19 cases every day. Test positivity rate is also increasing. Locking down the people will not help to address this crisis as people are in desperate need for livelihood. Therefore, vaccination is the only possible way to prevent Covid 19 crisis. The Central Government should distribute enough vaccines for the whole country and West Bengal in particular immediately.

(xviii) Regarding 6 laning of Anakapalli-Annavaram-Diwancheruvu section

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): 6-Laning of Anakapalle-Annavaram-Diwancheruvu Section is highly needed due to the following reasons: 1. Target Traffic of 40,000 Passenger Car Equivalent (PCU) already exceeded for Anakapalle-Annavaram Section and Target Traffic will exceed 40,000 PCU in near future for Annavaram – Diwancheruvu Section. 2. All adjacent Projects are already upgraded to 6-Laning. Hence, Anakapalle – Annavaram – Diwancheruvu Section has become bottleneck with 4-Lane facilities and 6-Lane traffic.

(xix) Need to extend the benefit of pension to employees of Jawahar Navodaya Vidyalaya

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना पूरे भारत में दिनाक 05 अगस्त 1985 को कैबिनेट नोट के माध्यम से हुई और नवोदय विद्यालय समिति का पंजीकरण सोसाइटी एक्ट के तहत दिनाक 28 FEBRUARY 1986 में हुआ लेकिन नवोदय विद्यालय के कर्मियों को भारत सरकार ने पेंशन के लिए मंजूरी नहीं दी। कारण सिर्फ यह था की कट ऑफ डेट दिनाक 01 JANUARY 1986 थी जबकि 01 JANUARY 1986 के बाद स्थापित हुई संस्थाये जैसे NIOS, ITBP Schools, ITI आदि संस्थाओ की पेंशन मंजूर हुई है।

लेकिन नवोदय विद्यालय के कर्मी आज भी पेंशन से वंचित है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि नवोदय विद्यालय के कर्मियों की पेंशन उन्हें दिलवाने के लिए संबंधित विभाग में जरुरी दिशानिर्देश देने की कृपा करें।

(xx) Need to provide funds for Araria – Galgalia Railway line Project in Bihar

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): अररिया – गलगलिया नई रेल परियोजना जो तेजी से चल रही है **इस** वर्ष बजट में बहुत कम राशि का आवंटन हुआ है, फलस्वरूप काम रूक गया है। इसे रिवीजन कर सूटेबल रिवाइज आवंटन कर काम को चालू रखा जाए जिससे आज़ादी के बाद पहली बार क्षेत्र के लोगों को रेलगाड़ी देखने का मौका मिल सके। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल लाइन जो प्रतापगंज से भीमनगर – बथनाहा 1934 के भूकम्प में नष्ट हुई थी अभी तक वैसे ही पड़ी है, इसे पुनः चालू कर नेपाल के साथ जोड़ा जाए ताकि बॉर्डर क्षेत्र की गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके।

(xxi) Regarding improvement and modernization of stormwater drainage system of Cuttack

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Union Government has launched Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) with the overarching aim of providing basic civic amenities like water supply, sewage, urban transport, parks etc. in urban areas. Odisha Government, as per Service Level Improvement Plan (SLIP) under AMRUT, had submitted a project with a cost of Rs.3,700 crore for the development of stormwater drainage system in AMRUT cities.

Over the past few years, a large number of drainage systems in many urban areas of Odisha have collapsed, thereby resulting in flooding. This is evident during the monsoon season in major cities such as Cuttack, Bhubaneswar, Sambalpur, Brahmaptir and Puri In cities prone to rainstorms, proper disposal of surplus stormwater is essential to avoid waterlogging. Due to environmental decline and unauthorised constructions, there has been a severe deterioration in the condition of drainage system.

Since the cost of developing proper stormwater drainage systems in urban zones is getting costlier, Odisha State Government has pleaded for more funding. The request is pending for long. I would urge upon the Union Government to grant approval for the improvement and modernization of stormwater drainage system of Cuttack.

(xxii) Need to make available fertilizers and seeds to farmers and also set up procurement centres for wheat and paddy in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती व जिला बलरामपुर मे खाद एवं बीज की अनुपलब्धता किसानो की महत्वपूर्ण की समस्या है, खाद एवं बीज समय पर सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है जिससे किसान को खाद बीज के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और किसानो के धान खरीद के लिए पर्याप्त क्रय केन्द्र खोला जाय और जितने धान / गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन किसानो के किये जाय वे तय समय के भीतर क्रय किये जाय। पिछले वर्ष किये गये धान / गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन का अब तक तौल नहीं हो पाया है। कृषि मंत्रालय से मांग है कि खाद बीज समय पर किसानों को उपलब्ध कराया जाय और किसानो की धान खरीद के लिए पर्याप्त संख्या में कय केन्द्र खोला जाए जिससे किसानों को खाद एवं बीज और गेहूँ / धान का खरीद / बिक्री आसानी से कर सकें।

(xxiii) Regarding new BG line between Patancheru (Nagulapalli) – Sangareddy – Jogipet -Medak stations

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): I would like to draw the kind attention of the Government towards the need to take up new BG line between Patancheru (Nagulapalli) – Sangareddy – Jogipet -Medak stations which falls in my Medak Parliamentary Constituency in Telangana State.

The Reconnaissance Engineering-Cum-Traffic Survey report has already been submitted by the South Central Railway for new BG line between Patancheru (Nagulapalli) – Sangareddy – Jogipet - Medak stations having the length of 89.10 km with an estimated cost of Rs. 1764.92 crores.

I would like to state that this new railway line is very much important to meet the demands of the local railway passengers and the demand pending since long and on the occasion, I assure you that the State Government will extend all the required cooperation to take forward this project without any further late.

Hence, I request the Hon'ble Minister of Railways to take up this new railway line on TOP PRIORITY BASIS.

(xxiv) Regarding release of socio-economic and caste census-2011

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): The Socio-Economic and Caste Census (SECC) 2011 is yet to be published by the Centre. Because of a lack of empirical data on OBCs, 5 OBC reserved seats in Maharashtra were challenged in the High Court in 2017 and later in the Supreme Court. The Chief Minister of Maharashtra on 1st August 2019 has written to the Centre requesting the release of SECC, which was to be produced within 8 weeks in the Supreme Court. But the Centre did not respond. Thereafter, the Supreme Court in its judgement on 4th March 2021, held that the validity of reservation for OBCs cannot be justified without empirical evidence of their backwardness. Because of the lack of empirical data on caste, nearly 56,000 elected OBC representatives in Maharashtra and more than 9 lakh OBC representatives across India, face the danger of losing democratically elected reserved seats. Therefore, I urge the Centre to release SECC 2011 to States.

(xxv) Regarding inclusion of Subabul and Eucalyptus under Non-GST items

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): As per the definition of 'Agricultural Produce' given under the CGST Act, 2017, agricultural produce should be produced out of cultivation of plants, on which only barebones processing is done to help their marketability in primary markets. No further processing by the cultivator is permitted so that it alters its physical form and chemical constitution. Such agricultural produce does not attract any GST (Nil). But presently, Subabul and Eucalyptus are taxed at 18% GST bracket, under HSN 4403 – 'wood in the rough'. I urge the government to include Subabul and Eucalyptus under either HSN 440290 (wood charcoal) or 440110 (firewood), both of which attract 0% GST. I further request that these farmers be provided adequate formal credit through NABARD and Public Sector Banks, and marketing facilities, in line with the recommendations of the Nation Agroforestry Policy, 2014. The farmers of these two crops in Andhra Pradesh, are in distress and urgent need of your prized intervention.

____

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 20, सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021

माननीय माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move that the Bill further to amend the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप इस पर कुछ बोलिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, as regards the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill, we aim to achieve few very important discussion points. You may remember that 2019 onwards, there has been this demand that … (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आपको आइटम नम्बर 20 पहले पढ़ना है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: वे आइटम नम्बर 20 ही पढ़ रही हैं।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सभापति महोदय, डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल के संबंध में, you may recall that in 2019, there were a lot of problems of cooperative banks being in stress and some of them was because the RBI also brought in conditions for them. The depositors were put to a lot of difficulty. It was under the leadership of Prime Minister, Shri Modi that we had raised the amount from Rs. 50,000, where it was, to Rs. 1 lakh so that the small depositors can benefit from the amount that is given to them as an insurance cover. … (*Interruptions*) So, Rs. 1 lakh is the amount which we thought will help many small depositors. About 98 per cent of the cooperative bank deposit holders are small depositors. So, we raised the amount to Rs. 1 lakh. But then the related problem was that till the resolution of the cooperative banks which is under distress is … (*Interruptions*)

Sir, I just want to have a clarification. I have two Bills in my name. Now, am I to deal with the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Bill or the Limited Liability Partnership Bill? Can I have this clarification? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is the Limited Liability Partnership Bill.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, it is the Limited Liability Partnership Bill. I would please restate my position. I will restate it.… (*Interruptions*)

I beg to move that the Bill to amend the Limited Liability Partnership Act, 2008, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration.

I am sorry about this confusion. …(*interruptions)*

माननीय सभापति: यह हो सकता है, जब हंगामा हो रहा है तो यह संभव है। Please carry on now.

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is very kind of you to give me that little margin. … (*Interruptions*)

12.33 hrs

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (AMENDMENT) BILL, 2021
As passed by Rajya Sabha

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN) : I beg to move:

> "That the Bill to amend the Limited Liability Partnership Act, 2008, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Limited Liability Partnership (Amendment) Bill is a very important Amendment Bill. This is an Amendment Bill which aims to bring in ease of doing business for smaller businesses between partnerships and big companies, the corporates. You are aware, Sir, that many of the start-ups in the country and many partnerships which are of chartered accountants and cost accountants have the flexibility of partnership but are not so well regulated as much as the large corporates are. But by regulation, I want to highlight the fact that many aspects of criminality which pertains to them also will have to be brought down now. Criminal offences will have to be brought down to the minimum. Where it is compoundable, we want to compound them and levy only penalties. … (*Interruptions*)

I would like to draw your attention that this Bill was passed originally in 2008 and came into effect in 2009 but from 2009 till today, there has never been an amendment brought in. Today, we want to bring in parity between the large companies which are well regulated: criminal offences have been brought down and ease of business has been brought up whereas the partnerships are having great flexibility. We want to extend that to all the Limited Liability Partnerships: less of compoundable offences, bring them down to ease of doing business and retain the flexibility which partnerships have. That is why, we have brought this Amendment Bill. … (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>खंड 2 से 29 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

12.36 hrs

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2021

As passed by Rajya Sabha

HON. CHAIRPERSON: Item No.21. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं?

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, Sir. Thank you very much.

Sir, I was elaborating on the point that many depositors of the cooperative banks have gone through very difficult times. … (*Interruptions*). As a result, you find that many of them which are under stress – which the Reserve Bank has put under stress even if they have not been under moratorium – are unable to find the resolution. The deposit holders are suffering; senior citizens are affected by it.…

(*Interruptions*) Again for the record, I would like to say, in 2019, it was under Prime Minister, Shri Narendra Modi, we increased the amount to rupees one lakh.… (*Interruptions*)

Now, we realise that in spite of having increased it to rupees one lakh, the resolution is getting postponed, as a result of which, till such time the resolution happens, many of the depositors are not getting more than the emergency money for the medical treatment and so on. … (*Interruptions*)

So, in spite of having raised it to rupees one lakh and now to rupees five lakh, we want to make sure that within 90 days, the depositors get the money so that the small depositors who make up for 98 per cent of all depositors will get the money in time, that is, 90 days. … (*Interruptions*) So, this Bill may bring in great relief to all those banks and small cooperative banks which come under stress. … (*Interruptions*)

The more important point I want to highlight here, Sir, is that this will be effective from now. … (*Interruptions*) However, those cooperative banks like the Rupee Co-operative Bank, PMC Bank, Guru Raghavendra Bank which have already come under stress but are not under moratorium and may have administrators sorting the business out, even their depositors will get rupees five lakh and they will get it within 90 days. … (*Interruptions*)

Now, I want to just request the hon. Members to please participate in this very important discussion. … (*Interruptions*) I remember hon. Member, Shrimati Supriya Sule was talking to me about it a number of times. … (*Interruptions*) I remember very many NCP leaders were talking to me about PMC. … (*Interruptions*) I remember very many Members of Parliament from Karnataka were speaking to me about Guru Raghavendra Bank.… (*Interruptions*)

This is the Bill which is being brought in to benefit small depositors in cooperative banks. … (*Interruptions*). So, I honestly appeal to all the Members from all the parties to understand the importance of this Bill which is being passed keeping the welfare of small depositors in mind, to agree and generously and unanimously pass this Bill today.… (*Interruptions*) Thank you very much.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

____

12.41 hrs

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2021

As passed by Rajya Sabha

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-22**,** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021.

माननीय मंत्री जी।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदय**,** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधयेक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहेंगे?

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव या विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश के ऐसे भाइयों को न्याय मिल सकेगा, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। … (व्यवधान) अरुणाचल प्रदेश में ऐसे जनजातियों की संख्या, जिन्हें हम नागा ट्राइब के नाम से जानते हैं, बड़ी संख्या में, यानी वहां 99 परसेंट ट्राइबल आबादी है। लेकिन, नागा ट्राइब उनके रिकॉर्ड में न होने के कारण उन्हें यह लाभ नहीं मिल पा रहा था। … (व्यवधान) आज इस विधेयक के माध्यम से नागा ट्राइब को इलैबोरेट करते हुए, उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर

यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस विधेयक के माध्यम से उन्हें लाभ मिले। दुनिया आज का दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रही है। ऐसे समय में इस विधेयक पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। ... (व्यवधान) इस विधेयक पर विपक्ष अपना सुझाव नहीं देना चाहता है और भागीदार भी नहीं बन रहा है। यह इस बात को दिखाता है कि इन लोगों को जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधयेक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your leader is speaking. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी सीट पर जाइए। आपके नेता बोल रहे हैं। उनको बालने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज आप जाइए तो सही।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjanji, please ask your fellow Members to go back to their seats.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं हमारी तरफ से अपने आदिवासी भाई-बहनों को नमस्ते करता हूं और बधाई देता हूं। इस अवसर पर हमने आदिवासी के बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए मन बनाया था। लेकिन, इस सरकार के अकड़पन, इस सरकार की जिद्दीबाजी … (व्यवधान) ये हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं। … (व्यवधान) सदन में हम इसका प्रतिरोध करते हैं। इसके चलते हमारे आदिवासी भाई-बहन … (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। …(व्यवधान) हम आदिवासियों के प्रति समर्पित हैं। …(व्यवधान) आदिवासियों के उत्थान के लिए और आदिवासियों के कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है। …(व्यवधान) उसमें भी आदिवासियों का कल्याण छिपा हुआ है। …(व्यवधान) अधीर रंजन चौधरी जी गलत बोल रहे हैं और सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : सभापति महोदय, आदिवासी दिवस पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम भी समर्थन देते हैं। …(व्यवधान) आदिवासी पूरी दुनिया में जिस तरह से …(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय**,** आदिवासी दिवस की आड़ लेकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वह सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : सभापति महोदय, उसको संभालने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी सुदीप जी बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस बिल को आने वाले दिनों में चर्चा के लिए रख दिया जाए और आज इस बिल को पारित न किया जाए। …(व्यवधान) हम लोगों को बहुत से विषयों पर चर्चा करने से रोक दिया गया है। …(व्यवधान) पेगासस पर चर्चा नहीं की गई है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : विनायक राऊत जी, आप बोलिए। प्लीज आप अपना भाषण स्टार्ट कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : सभापति महोदय, आज आदिवासी दिवस है। …(व्यवधान) हमारे देश के हर एक जिले में लाखों की संख्या में आदिवासी जमात रहती है और पिछले कई वर्षों से पूरे आदिवासी समाज के पास अभी तक विकास नाम का शब्द नहीं पहुंच सका है। …(व्यवधान) इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासियों के विषय के ऊपर पूरे सदन में गंभीरता से चर्चा

होनी चाहिए। …(व्यवधान) लेकिन दुर्भाग्यवश यह बिल बिना चर्चा के पास हो रहा है। …(व्यवधान) इसका मतलब आदिवासियों के ऊपर अन्याय करने की …(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we are all supporting this Bill. But our point is that it is quite unfortunate that a Bill like this which is for the welfare of the Scheduled Tribes is being passed in such a way. …(*Interruptions*) Similarly, passing of three Bills within 10 minutes like …*is quite unfortunate. It is against all the rules. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Baalu Ji.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the most important Bills of this nature are being passed without having any proper discussion, without participation of the Opposition parties …(*Interruptions*)

This is not correct. We are at the fag end of the Session. The entire Session has been washed out. …(*Interruptions*) At least, on this most important Bill, we should have had some discussion. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति : रितेश जी, आप बोलिए। आप बस एक मिनट में अपनी बात कहिए।

… (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : सभापति महोदय**,** मैं बधाई देते हुए इस बिल का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ ही साथ यह अत्यंत ही चिंताजनक है कि यह बिल सदन में बिना चर्चा के पास हो रहा है। …(व्यवधान) यह बिल बिना चर्चा के पास हो रहा है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : किरेन रिजीजू जी, आप एक मिनट के लिए रुक जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुप्रिया सुले जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : सभापति महोदय, आज आदिवासी दिन है। हमारी बहन गीता कोडा जी खुद एक आदिवासी हैं। …(व्यवधान) वह इस बिल पर बोलना चाहती हैं, अगर आप हाउस को ऑर्डर में लाएं, तो हमारी बहन इस पर बोलना चाहती हैं। …(व्यवधान) इस औरत की आवाज को पूरे देश को सुनना चाहिए। …(व्यवधान) गीता जी को बोलना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्या, उनके नेता बोल चुके हैं।

… (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सभापति महोदय, अगर आप हाउस को आर्डर में लाएंगे तो अच्छा होगा। हमारी बहन को इस पर बोलना है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : किरेन रिजीजू जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। …(व्यवधान) हमारे आदिवासी कल्याण मंत्रालय की ओर से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पेश किया गया है। …(व्यवधान) अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश के जमाने से कई ट्राइब्स का नाम बिल्कुल गायब करके रखा गया था। …(व्यवधान) आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों को नई पहचान दी है, नया नाम दिया है। …(व्यवधान)

मैं इस सदन के माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। …(व्यवधान) अरुणाचल प्रदेश के लाखों आदिवासी भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। …(व्यवधान) मैं अपोज़ीशन के सांसदों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आदिवासी मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी मत कीजिए, क्योंकि यह बिल आदिवासियों के कल्याण के लिए लाया गया है। …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक है, इसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। …(व्यवधान) मुझे बहुत संतोष हो रहा है। …(व्यवधान) लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि कोई कुछ भी कहना चाहता है। …(व्यवधान)

माननीय मोदी जी की सरकार यह चाहती है कि पूरी चर्चा हो जाए, लंबी चर्चा हो जाए, सार्थक चर्चा हो जाए, लेकिन वेल में चर्चा न करते हुए सभी अपनी-अपनी जगहों पर बैठकर चर्चा करें। …(व्यवधान) कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण ओबीसी संबंधित …(व्यवधान) जो कि बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, हम उसको भी पारित करना चाहते हैं। …(व्यवधान)

आप सभी चर्चा करने दीजिए। कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स देने दीजिए। हम पूरे दिन चर्चा के लिए तैयार हैं।... (व्यवधान) अभी अधीर बाबू जी ने, बीएसपी के सांसदों ने और सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने एक-एक मिनट में अपनी बात पूरी की है। ... (व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि आप पूरी चर्चा करने दीजिए, शांति से करने दीजिए। ... (व्यवधान) यह बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है। यह बिल ओबीसी समाज के हित के लिए है। मोदी जी ट्राइबल समाज के हित के लिए इस बिल को लेकर आए हैं।... (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए। ... (व्यवधान) आप चर्चा कीजिए। मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार चर्चा चाहती है। ओबीसी का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। यह ओबीसी के हित में है। ... (व्यवधान) आप बैठकर चर्चा कीजिए। चर्चा करके इस बिल को पारित कीजिए। हम आपका सजेशन सहर्ष स्वीकार करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कृपा करके अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित किया जाए।

श्री अर्जुन मुंडा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.51 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

14.01 hrs

At this stage, Shri Hibi Eden, Shri T.N. Prathaban, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम लोग अब कोविड पर चर्चा करेंगे। यह बहुत जरूरी चीज है और चर्चा होनी चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी से आग्रह है कि प्लीज, आप लोग अपनी जगहों पर वापस जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : चर्चा होने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या चर्चा नहीं करनी है? जब आप जाएंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी, इसलिए चर्चा होने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, चर्चा होने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 10, 2021/Sravana 19, 1943 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)